तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 1. निगरानी/टी0ए0/3308/2006/उदयपुर नगर विकास प्रन्यास बनाम प्रेमशंकर व अन्य 2. निगरानी/टी0ए0/3091/2006/उदयपुर नगर विकास प्रन्यास बनाम प्रेमशंकर व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.01.25	**<u>एकल–पीठ</u>** **कमला अलारिया, सदस्य** **<u>उपस्थित :</u>** श्री हगामी लाल चौधरी, अभिभाषक प्रार्थीगण। श्री अजीत लोढा, अभिभाषक अप्रार्थीगण। **<u>निर्णय</u>** उक्त दोनों निगरानीयां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–230 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा उदयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.02.2006 एवं 28–02–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। उक्त दोनों निगरानीयां के पक्षकार एवं कानूनी बिन्दु समान होने के कारण दोनों निगरानियों को एक ही निर्णय से निस्तारित किया जा रहा हैं। निर्णय की प्रति पृथक–पृथक से पत्रावली के साथ संलग्न की जावे। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण/अप्रार्थीगण ने एक वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा के समक्ष पेश किया। दौराने वाद अप्रार्थी/वादीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सी0पी0सी0 एवं आदेश 7 नियम 14 सी0पी0सी0 प्रस्तुत किया। जिसे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा ने अपने आदेश दिनांक क्रमशः 01–02–2006 एवं 28.02.2006 द्वारा स्वीकार कर लिया। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी मंडल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस निगरानी में सुनी ।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 1. निगरानी/टी0ए0/3308/2006/उदयपुर नगर विकास प्रन्यास बनाम प्रेमशंकर व अन्य 2. निगरानी/टी0ए0/3091/2006/उदयपुर नगर विकास प्रन्यास बनाम प्रेमशंकर व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड पर उपलब्ध दस्तावेजात के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि वादीगण/अप्रार्थीगण ने परीक्षण न्यायालय में वाद प्रस्तुती के समय आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये थे। जिसका जवाब भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया था। वादी के वाद पत्र व जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम की जा चुकी है। वाद की ट्रालय पूर्ण हो चुकी है एवं वाद अंतिम बहस में नियत है। वादीगण/अप्रार्थीगण द्वारा इस स्तर पर उक्त दोनों प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये है जो वाद पत्र की प्रकृति को परिवर्तित कर सकते है। विचारण न्यायालय ने अपने विधि विरूद्ध आदेश से उक्त दोनों प्रार्थना पत्रों को स्वीकार करने में विधिक एंव न्यायिक त्रुटि की है निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्क में कहा कि परीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश में यह कहीं भी अंकन नहीं किया कि उक्त दस्तावेज किस प्रकार से वाद पत्र का समर्थन करते है और आवश्यक दस्तावेज है। परीक्षण न्यायालय द्वारा नॉन स्पीकिंग व नॉन रिजण्ड आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय के आदेश को निरस्त करने का निवदेन किया। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया है कि परीक्षण न्यायालय ने प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन व पूर्ण जांच करने के पश्चात ही उन्हें रिकार्ड पर लिये जाने का आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत है। विद्वान अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 7 नियम 14 सी0पी0सी0 के समर्थन में तर्क दिया कि प्रस्तुत दस्तावेजात	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 1. निगरानी/टी0ए0/3308/2006/उदयपुर नगर विकास प्रन्यास बनाम प्रेमशंकर व अन्य 2. निगरानी/टी0ए0/3091/2006/उदयपुर नगर विकास प्रन्यास बनाम प्रेमशंकर व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रकरण का निर्णय करने में सहायक होने के कारण रिकोर्ड पर लिये गये है। विद्वान अभिभाषक ने एक अन्य प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सी0पी0सी0 के समर्थन में तर्क दिया कि साबिक ख0न0 587/11 के स्थान पर साबिक ख0न0 588/11 गलती से अंकित हो जिसको संशोधन किया जाना आवश्यक है। इसके संशोधन से वाद की प्रकृति पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि परीक्षण न्यायालय ने अपने स्वविवेकीय अधिकार के तहत प्रश्नगत दस्तावेजात को प्रकरण में प्रभावी व आवश्यक दस्तावेजात मानते हुये अपने आदेश के द्वारा स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के अंत में प्रस्तुत निगरानी को खारिज करने का निवेदन किया। उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया । इस निगरानीधीन आदेश में वर्णित उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन व विश्लेषण करने से स्पष्ट है कि परीक्षण न्यायालय के समक्ष वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया था। वाद में पक्षकारान की साक्ष्य व शहादत पूर्ण हो चुकी है एवं तनकीयात भी कायम की जा चुकी है। वाद अंतिम बहस हेतु नियत है। अप्रार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रार्थना अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सी0पी0सी0 के माध्यम से साबिक ख0न0 587/11 के स्थान पर साबिक ख0न0 588/11 अंकित किये जाने की मांग की गयी है परन्तु अप्रार्थीगण/वादीगण द्वारा अपने उपरोक्त कथन के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा मिलान क्षेत्रफल अथवा सूची न0 4 पेश नहीं की गयी है जिससे की	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 1. निगरानी/टी0ए0/3308/2006/उदयपुर नगर विकास प्रन्यास बनाम प्रेमशंकर व अन्य 2. निगरानी/टी0ए0/3091/2006/उदयपुर नगर विकास प्रन्यास बनाम प्रेमशंकर व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अप्रार्थीगण/वादीगण के उपरोक्त कथनो को बल प्राप्त होता हो। केवल मात्र मौखिक कथन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सी0पी0सी0 को स्वीकार करने का कोई औचित्य प्रकट नहीं होता है। परीक्षण न्यायालय द्वारा वाद में शहदादत पूर्ण हो जाने के बाद उक्त प्रकृति के प्रार्थना पत्र पेश किये जाने से वाद की प्रकृति में परिवर्तन हो सकता है एवं पक्षकारो के मध्य वाद बाहुल्यता अधिक होने की संभावना बनी रहेगी। इसी प्रकार परीक्षण न्यायालय ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 14 सी0पी0सी0 को स्वीकार करते हुये अपने आदेश में यह कहीं भी अंकन नहीं किया कि अप्रार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज किस प्रकार से वाद पत्र का समर्थन करते है और आवश्यक दस्तावेज है। परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश नॉन स्पीकिंग व नॉन रिजण्ड होने से अपास्त किये जाने योग्य है। परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है एवं परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा उदयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक क्रमशः 01.02.2006 एवं दिनांक 28.02.2006 अपास्त किये जाते है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(कमला अलारिया)** **सदस्य**	